एशियाई विकास बैंक

भारत : पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम – भाग 4

परियोजना का नाम	पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम – भाग 4
परियोजना की संख्या	40648-037
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	प्रस्तावित
परियोजना प्रकार/सहायता की विधि	ऋण
निधीयन का स्रोत/राशि	**ऋण: पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम – भाग 4**
	साधारण पूंजी संसाधन यूएस डॉलर 31.00 मिलियन
रणनीतिक कार्यसूची	पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	अभिशासन और क्षमता विकास भागीदारियां निजी क्षेत्र विकास
सेक्टर/उप–सेक्टर	**परिवहन** – शहरी सड़कें तथा यातायात प्रबंधन **जल और अन्य शहरी अवसंरचना तथा सेवाएं** – अन्य शहरी सेवाएं – सांस्कृतिक विरासत का नवीकरण और संरक्षण – शहरी नीति, संस्थानिक और क्षमता विकास
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	प्रभावी लैंगिक मुख्यधारीकरण
विवरण	एमएफएफ सरकार के पर्यटन सेक्टर मार्ग मानचित्र के एक अंश को सहायता प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य स्थायी एवं समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। भारत के लिए पर्यटन सेक्टर मार्ग मानचित्र सरकार की 11वीं पंच–वर्षीय योजना के संदर्भ में एडीबी की तकनीकी सहायता समर्थन के तहत तैयार किया गया था, जिसमें आगंतुकों की संख्या, उनके औसत पड़ाव तथा व्यय में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा पर्यटन से होने वाले लाभों में स्थानीय समुदायों को न्यायपूर्ण हिस्सा मिलने पर जोर दिया गया है। उक्त मार्ग मानचित्र में उत्तर पश्चिम हिमालय धरोहर सर्किट, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा उत्तराखंड शामिल हैं और दक्षिण धरोहर सर्किट, जिसमें तमिलनाडु शामिल है, मुख्य क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां आकर्षण, पहुंच तथा प्रबंधन कुशलता की वृद्धि हेतु पर्यटक अवसंरचना के विस्तार एवं सुधार की आवश्यकता है।
परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	निवेश कार्यक्रम का फोकस निम्न पर है (i) बेहतर पर्यटन पहुंच और कनेक्टिविटी का विकास; (ii) पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण पर्यटन पर्यावरण तथा आगंतुक सहायता अवसंरचना के प्रावधान द्वारा सु–विकसित पर्यटक गंतव्यों का सृजन एवं अनुरक्षण; (iii) सु–पुनरूद्धारकृत, संरक्षित और प्रस्तुत विरासत स्थलों का स्थापन; और (iv) सु–प्रबंधित और अनुरक्षित लघु–स्तर समुदाय–आधारित अवसंरचना उपलब्ध कराना।
प्रभाव	तमिलनाडु के भीतर गंतव्यों पर स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि
परिणाम	तमिलनाडु में पर्यटन पर्यावरण में सुधार
आउटपुट्स	प्राकृतिक और सांस्कृतिक आकर्षणों की संवर्द्धित गुणवत्ता पर्यटन–संबंधित आर्थिक गतिविधियों में स्थानीय समुदायों द्वारा अधिक प्रतिभागिता पर्यटन गंतव्यों तथा प्रवेशद्वारों पर बुनियादी शहरी अवसंरचना और अनुषंगी सेवाओं में सुधार तथा पर्यटक आकर्षणों हेतु कनेक्टिविटी में सुधार पर्यटक गंतव्यों तथा आकर्षणों की योजना, विकास, प्रबंधन तथा विपणन के लिए सेक्टर एजेन्सीज तथा स्थानीय समुदायों की सुदृढ़ीकृत क्षमता और प्राइवेट सेक्टर तथा लघु व्यवसायों की प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहन
भौगोलिक अवस्थिति	तमिलनाडु
संरक्षा संवर्ग	
पर्यावरण	ख

अस्वैच्छिक पुनर्वास	ग
स्वदेशी लोग	ग
पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश	
पर्यावरण पहलू	सिविल कार्यों वाली उपपरियोजनाओं के लिए प्रारूप आरंभिक पर्यावरण संबंधी परीक्षाएं (आईईई'ज) पर्यावरण आकलन और समीक्षा संरचना में पर्यावरण मानदंडों के अनुसार तैयार की गईं। सभी परियोजना अवस्थितियां संवेदनशील क्षेत्रों से बाहर अवस्थित हैं तथा कोई महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव पूर्वानुमानित नहीं हैं। किसी भी प्रभाव से बचने/उपशमन का कार्य ईएमपी'ज में चिन्हित प्रामाणिक निर्माण उपायों द्वारा किया जाएगा। पूर्वानुमानित पर्यावरण प्रभाव निम्नानुसार हैं: (i) खुदाई/खाई बनाने के कार्यों के दौरान, विशेष रूप से उच्च पर्यटक क्षेत्रों में, पेशागत और सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा; तथा (ii) यातायात प्रबंधन। डीओटी ने परियोजना 2 से क्षमता विकसित की है तथा प्रभावों की यथेष्ट निगरानी एवं प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए परामर्शदाता सहायता प्राप्त करना जारी रखेगा। एडीबी को पर्यावरण संबंधी रिपोर्टिंग अर्द्ध–वार्षिक आधार पर की जाएगी।
अस्वैच्छिक पुनर्वास	परियोजना क्षेत्रों में कोई स्थायी प्रभाव जैसेकि भूमि अधिग्रहण, भौतिक विस्थापन, जीविका हानि अथवा अस्थायी प्रभाव चिन्हित नहीं किए गए हैं। सभी कार्य कार्यान्वयन कर रहे अभिकरणों के पास उपलब्ध सार्वजनिक भूमि पर किए जाने सुनिश्चित हैं। परियोजना 4 के लिए एक प्रारूप भूमि अधिग्रहण तथा अस्वैच्छिक पुनर्वास सम्यक सतर्कता रिपोर्ट (डीडीआर) तैयार की जा चुकी है, जिसमें कोई सामाजिक सुरक्षोपाय प्रभाव नहीं होने की पुष्टि की गई है।
स्वदेशी लोग	उपपरियोजना स्थलों पर अथवा उनके आसपास कोई स्वदेशी लोग समुदाय मौजूद नहीं हैं।
स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श	
परियोजना डिजाइन के दौरान	प्रेसिडेंट की रिपोर्ट और संस्तुति (आरआरपी) में एमएफएफ के तहत पांच किश्तों की प्रोसेसिंग पूर्वानुमानित है, जबकि तीन किश्तें अनुमोदित की जा चुकी हैं (ऋण में परिवर्तित कुल एमएफएफ राशि $210.77 अथवा 84 थी) तथा शेष सीमित उपलब्धता अवधि के भीतर संभव किश्तों की संख्या चार तक है। किश्तों का अनुक्रमण प्रत्येक राज्य की परियोजना उद्यतता पर आधारित था। प्रथम आवधिक वित्तपोषण अनुरोध (पीएफआर) जिसमें $43.42 मिलियन के ऋण हेतु किश्त 1 शामिल थी, दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 को पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सहायता हेतु अनुमोदित किया गया था। द्वितीय पीएफआर जिसमें किश्त 2 शामिल थी, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को उत्तराखंड एवं तमिलनाडु की सहायता के लिए $43.84 मिलियन के ऋण हेतु अनुमोदित किया गया था तथा किश्त 3 के लिए तृतीय पीएफआर दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 को पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की सहायता के लिए $123.51 मिलियन के ऋण हेतु अनुमोदित किया गया था। प्रत्येक किश्त के दायरे निम्नलिखित आउटपुट्स की सहायता के लिए एमएफएफ डिजाइन और मॉनीटरन ढांचे के अनुरूप थे : (i) वर्तमान और नए उभर रहे पर्यटक स्थलों तथा प्रवेशद्वारों पर बेहतर बुनियादी शहरी ढांचा (जैसेकि जल आपूर्ति, सफाई, सड़क तथा सार्वजनिक परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधकन और पर्यावरण सुधार) तथा आकस्मिक सेवाएं (जैसेकि सार्वजनिक शौचालय, गली संकेतपट तथा प्रकाश व्यवस्था) ; (ii) आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी के सुधार पर फोकस के साथ पर्यटक आकर्षणों हेतु कनेक्टिविटी सुधार ; (iii) आगंतुक पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यटक आकर्षणों की संवर्द्धित गुणवत्ता ; (iv) पर्यटन–संबंधित आर्थिक और आजीविका गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की अधिक प्रतिभागिता; तथा (v) पर्यटक गंतव्यों तथा आकर्षणों की योजना, विकास, प्रबंधन तथा विपणन के लिए संबंधित सेक्टर एजेन्सीज तथा स्थानीय समुदायों की सुदृढ़ीकृत क्षमता और प्राइवेट सेक्टर तथा लघु व्यवसायों की प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहन।
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान	सिविल कार्यों तथा परामर्शदाता पैकेजों के लिए अग्रिम संविदा का अनुरोध किया गया है। एडीबी ऋण राशि के 20 प्रतिशत तक का वित्तपोषण उन ग्राह्य ऋणों के लिए पूर्व प्रभाव से होगा, जो ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने से अधिकतम 12 महीनों में उपगत किए गए हैं। ऋण प्राप्तियों के वितरण हेतु एडीबी के ऋण वितरण पुस्तिका (2017, समय समय पर संशोधित अनुसार) और सरकार एवं एडीबी के बीच सहमत विस्तृत व्यवस्थाओं का पालन किया जाएगा।
व्यवसाय के अवसर	
परामर्शी सेवाएं	एक परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं (पीएमएससी) की नियुक्ति कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट्स (पीएमयू) तथा परियोजना कार्यान्वयन यूनिट्स (पीआईयू'ज) की सहायतार्थ की जाएगी। पीएमएससी सुनिश्चित करेगा कि (i) पीएमयू'ज तथा पीआईयू'ज में परियोजना प्रबंधन और प्रतिवेदन प्रणालियां, लेखांकन प्रबंधन प्रणालियां और मॉनीटरन एवं मूल्यांकन कार्यक्रम उपयुक्त रूप से विकसित किए गए हैं तथा परियोजना कार्यान्वन की पूरी अवधि में अनुरक्षित किए गए हैं; तथा (ii) पीआईयू'ज में उपयुक्त निर्माण अधीक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं मौजूद हैं। वे पीएमयू को, जब कभी अपेक्षित होगा, डिजाइन सहायता उपलब्ध कराएंगे। पीएमएससी, प्रभावोत्पादक परियोजना कार्यान्वयन के लिए, सरकार तथा एडीबी की प्रक्रियाओं के अनुपालन में पीएमयू तथा पीआईयू'ज को सहायता प्रदान करेगी।
अधिप्राप्ति	माल और कार्यों का समस्त प्रापण एडीबी के प्रापण मार्गदर्शी सिद्धांत (2015, समय समय पर संशोधित) के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	स्लैन्जेन, रॉन एच.
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	शहरी विकास तथा जल प्रभाग, एसएआरड
निष्पादक अभिकरण	*पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक निधि विभाग (डीओटीसीआरई),* *नाडु सरकार आईडीआईपीटी–टीएन, पर्यटन विभाग,* *तमिलनाडु पर्यटन कॉम्प्लेक्स* *पर्यटन, और संस्कृति विभाग, तमिलनाडु सरकार पर्यटन एवं संस्कृति (टी1)* *विभाग सचिवालय* *तमिलनाडु सरकार चेन्नई – 600009*
समयसारणी	
अवधारणा मंजूरी	-
तथ्य अन्वेषण	-
एमआरएम	23 मई 2018
अनुमोदन	-
अंतिम पुनरीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	21 मार्च 2018
परियोजना पृष्ठ	https://www.adb.org/projects/40648-037/main
सूचना हेतु अनुरोध	http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=40648-037
दिनांक जिसको जनित किया गया	15 मई 2018

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई हैः क्योंकि पीडीएस प्रगति–में–कार्य होता है, इसके आरंभिक संस्करण में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्त्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।